NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 19-08-2026

विषय सूची

SHANTI नियमावली 2026 का प्रारूप

धार्मिक भावनाओं और संवैधानिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन

भारत के व्यापार समझौते

भारत में कॉरपोरेट निवेश

संक्षिप्त समाचार

तामिराभरणी नदी

पीएम केयर्स फंड

BRICS द्वारा EU के कार्बन कर का विरोध

बन्नी घासभूमि में कृष्णमृगों का पुनर्स्थापन

भारत का मखाना क्षेत्र

SHANTI नियमावली 2026 का प्रारूप

संदर्भ

- हाल ही में सरकार ने **मसौदा SHANTI नियम, 2026** जारी किए हैं, जिनमें परमाणु ऊर्जा उत्पादन के विस्तार और निजी क्षेत्र की भागीदारी की योजनाओं के बीच परमाणु संचालक की देयता, बीमा तथा वित्तीय सुरक्षा से संबंधित विस्तृत मानदंड प्रस्तावित किए गए हैं।

मसौदा SHANTI नियम, 2026 के बारे में

- मसौदा **SHANTI नियम, 2026**, SHANTI अधिनियम, 2025 के अंतर्गत परमाणु दायित्व संबंधी ढाँचे को क्रियान्वित करने तथा भारत के परमाणु क्षेत्र के विस्तार और विविधीकरण के लिए अधिक स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था प्रदान करने का प्रयास करते हैं।
- इन नियमों में कठोर संचालक दायित्व, अनिवार्य वित्तीय संरक्षण तथा पूरे जीवन-चक्र के लिए वित्तीय योजना के साथ-साथ परमाणु प्रौद्योगिकी के व्यापक अनुप्रयोगों से संबंधित प्रावधानों को समाहित किया गया है।

मसौदा नियमों के प्रमुख प्रावधान

- **कठोर एवं दोष-रहित दायित्व:** परमाणु संस्थापन के संचालक परमाणु क्षति के लिए कठोर रूप से उत्तरदायी होंगे और इसके लिए दोष सिद्ध करना आवश्यक नहीं होगा।
    - दायित्व में परमाणु सामग्री के परिवहन के दौरान होने वाली क्षति भी शामिल होगी।
- **अनिवार्य वित्तीय संरक्षण:** संचालकों के लिए बीमा पॉलिसी, वित्तीय सुरक्षा या दोनों के संयोजन को बनाए रखना अनिवार्य होगा।
    - वित्तीय सुरक्षा अपरिवर्तनीय होनी चाहिए और तब तक वैध रहनी चाहिए, जब तक रिएक्टर से हटाए जाने के बाद समस्त प्रयुक्त ईंधन को प्रयुक्त-ईंधन भंडारण पूल से बाहर नहीं निकाल दिया जाता।
    - यदि शेयर, बॉण्ड या अन्य वित्तीय साधनों का उपयोग किया जाता है, तो इन्हें केंद्र सरकार के पक्ष में गिरवी रखा जाएगा तथा **1:1.33** का सुरक्षा मार्जिन बनाए रखना होगा।
    - किसी भी कमी की स्थिति में अतिरिक्त बीमा या वित्तीय सुरक्षा के माध्यम से उसे तत्काल पूरा करना होगा।
- **परमाणु प्रौद्योगिकी के व्यापक अनुप्रयोग:** यह ढाँचा विद्युत उत्पादन से आगे परमाणु प्रौद्योगिकी के उपयोग की परिकल्पना करता है, जिसमें कैप्टिव विद्युत उत्पादन और प्रक्रिया-ताप, हाइड्रोजन उत्पादन, चिकित्सा समस्थानिक, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान शामिल हैं।
    - कठिन-से-उत्सर्जन-न्यून क्षेत्रों के उद्योगों के लिए परमाणु कैप्टिव विद्युत उत्पादन।
    - डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, क्वांटम प्रौद्योगिकी, उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग तथा AI-सक्षम प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते अनुप्रयोग।
- **जीवन-चक्र आधारित वित्तीय योजना:** लाइसेंस प्राप्त संस्थापन के लिए नागरिक दायित्व, परिचालन लागत, प्रयुक्त ईंधन एवं रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन, संस्थापन को निष्क्रिय करने तथा स्थल के पुनर्स्थापन के लिए वित्तीय व्यवस्थाएँ करना आवश्यक होगा।
- **सरकार के स्वामित्व वाले संस्थापन:** निर्दिष्ट केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले संस्थापनों को बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में संबंधित क्षति के लिए केंद्र सरकार दायित्व वहन करेगी।
- **आवधिक समीक्षा:** एक विशेषज्ञ समूह प्रत्येक पाँच वर्ष में अधिकतम नागरिक दायित्व सीमा की समीक्षा करेगा। इसमें परमाणु विज्ञान, अभियांत्रिकी, बीमांकिक विज्ञान, बीमा, विधि तथा जनहित के क्षेत्रों के विशेषज्ञों का अनुभव लिया जाएगा।

संबंधित चिंताएँ एवं मुद्दे

- **मुआवजे की पर्याप्तता:** दायित्व की सीमाएँ और वित्तीय सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएँ ऐसी होनी चाहिए कि परियोजनाओं को वित्तीय रूप से अव्यवहार्य बनाए बिना प्रभावित पक्षों को सार्थक मुआवजा मिल सके।
- **निजी क्षेत्र का जोखिम:** बीमा की उच्च लागत और दीर्घकालिक परमाणु जोखिम निजी निवेश को प्रभावित कर सकते हैं।
- **नैतिक जोखिम:** कुछ संस्थापनों के लिए सरकार द्वारा समर्थित दायित्व व्यवस्था से सुरक्षा के प्रति प्रोत्साहन कमजोर नहीं होना चाहिए।
- **अपशिष्ट एवं संस्थापन-निष्क्रियकरण:** दीर्घकालिक रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थिर संस्थागत व्यवस्था, पर्याप्त वित्तपोषण तथा तकनीकी क्षमता आवश्यक है।

- **नियामकीय स्वतंत्रता:** निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के साथ एक सुदृढ़ , पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम परमाणु नियामक की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।
- **जनविश्वास एवं सुरक्षा:** परमाणु ऊर्जा का विस्तार कठोर सुरक्षा मानकों, आपातकालीन तैयारी तथा पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों पर आधारित रहना चाहिए।

भारत का परमाणु ऊर्जा परिदृश्य

- परमाणु ऊर्जा भारत की स्वच्छ-ऊर्जा रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ विश्वसनीय और कम-कार्बन वाली बेसलोड विद्युत उपलब्ध कराती है।
- भारत ने अपनी दीर्घकालिक ऊर्जा-परिवर्तन रणनीति के अंतर्गत **2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता** का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
- परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ऐतिहासिक रूप से भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में केंद्रीय भूमिका निभाई है।
- भारत स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ा रहा है, जिनमें **दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWRs)** तथा **लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs)** का विकास शामिल है।
- परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग विद्युत उत्पादन के अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा, कृषि, खाद्य संरक्षण, उद्योग, अनुसंधान तथा समस्थानिक उत्पादन जैसे क्षेत्रों में भी किया जाता है।
- सरकार पूंजी, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षमताओं को एकत्रित करने तथा परमाणु ऊर्जा की तैनाती में तीव्रता लाने के लिए निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी की दिशा में प्रयास कर रही है।
- परमाणु ऊर्जा के विस्तार के लिए परमाणु सुरक्षा, रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन, प्रयुक्त ईंधन प्रबंधन, संस्थापन-निष्क्रियकरण तथा आपातकालीन तैयारी पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

SHANTI अधिनियम, 2025

- यह भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के आगामी चरण के लिए वैधानिक ढाँचा प्रदान करता है।
- यह परमाणु विद्युत उत्पादन में व्यापक भागीदारी को सक्षम बनाने का प्रयास करता है, जबकि परमाणु सुरक्षा और संरक्षा पर सुदृढ़ सरकारी निगरानी बनाए रखता है।
- अधिनियम परमाणु संस्थापनों एवं गतिविधियों के लाइसेंसिंग के लिए एक ढाँचा प्रदान करता है तथा संचालकों की जिम्मेदारियाँ निर्धारित करता है।
- इसका उद्देश्य परमाणु क्षेत्र में निवेश के लिए अधिक कानूनी एवं नियामकीय निश्चितता सुनिश्चित करना है।
- यह ढाँचा नागरिक परमाणु दायित्व से संबंधित है, जिसमें परमाणु क्षति के लिए मुआवजे से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं।
- इसमें परमाणु दायित्व संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए वित्तीय सुरक्षा/बीमा की व्यवस्थाओं की परिकल्पना की गई है।
- यह कानून लागू नियामकीय ढाँचे के अधीन गैर-विद्युत अनुप्रयोगों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग को भी समर्थन देता है।
- सुरक्षा, संरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा सुरक्षा-उपाय नियामकीय व्यवस्था के केंद्रीय तत्व बने हुए हैं।
- इस अधिनियम का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु संबंधी लक्ष्यों, जनसुरक्षा तथा रणनीतिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए भारत के परमाणु ऊर्जा विस्तार को सुगम बनाना है।

आगे की राह: दायित्व व्यवस्था को सुदृढ़ करना और निजी भागीदारी को सक्षम बनाना

- भारत को ऐसी **जोखिम-संवेदी परमाणु दायित्व व्यवस्था** अपनानी चाहिए, जो निवेशकों के लिए निश्चितता और जनता के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करे। इसके लिए आवश्यक है:
  - स्पष्ट और पूर्वानुमेय दायित्व सीमाएँ तथा बीमा तंत्र।
  - स्वतंत्र और पर्याप्त संसाधनों से युक्त परमाणु सुरक्षा नियामक।
  - अपशिष्ट प्रबंधन तथा संस्थापन-निष्क्रियकरण के लिए पृथक एवं सुरक्षित निधियाँ।
  - पारदर्शी आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा सार्वजनिक सूचना-प्रकटीकरण तंत्र।
  - आपूर्तिकर्ताओं और संचालकों की सुरक्षा संबंधी सुदृढ़ जवाबदेही।
  - तकनीकी एवं बीमांकिक साक्ष्यों के आधार पर दायित्व संबंधी मानदंडों की आवधिक समीक्षा।
  - परमाणु विनिर्माण, बीमा, सुरक्षा प्रौद्योगिकी तथा अपशिष्ट प्रबंधन में घरेलू क्षमता का विस्तार।

Source: ET

धार्मिक भावनाओं और संवैधानिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन

संदर्भ

- पंजाब के नए **धार्मिक अपवित्रीकरण(Sacrilege) संबंधी कानून** ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में धार्मिक अपराधों को दंडनीय बनाने को लेकर परिचर्चा को पुनः तीव्र कर दिया है।

परिचय

- हाल ही में पंजाब के राज्यपाल ने **जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम** को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
  - इसमें **श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी** के अपमान के विरुद्ध अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।
  - इस प्रकार के अपवित्र या अपमानजनक कृत्यों में संलिप्त या उनका समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति को **10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास** तक की सजा तथा **₹5 लाख से ₹25 लाख** तक का जुर्माना हो सकता है।
- **अधिनियम के अंतर्गत धार्मिक अपवित्रीकरण (Sacrilege):** इसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब को शारीरिक क्षति पहुँचाने, विरूपित करने, जलाने, फाड़ने या चोरी करने जैसे किसी भी **"जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण"** तरीके से किए गए अपवित्रीकरण के कृत्य शामिल हैं। इसके साथ ही, ऐसे कृत्यों को वाणी, लेखन, दृश्य प्रस्तुति अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किए जाने पर भी समान रूप से धार्मिक अपमान की श्रेणी में रखा गया है।

धार्मिक अपवित्रीकरण (Sacrilege) क्या है?

- **अपवित्रीकरण (Sacrilege)** का शाब्दिक अर्थ किसी धार्मिक वस्तु या स्थान के साथ उस सम्मान के अनुरूप व्यवहार न करना है, जिसका वह पात्र है।
  - परंपरागत रूप से इसका संबंध ऐसे आचरण से होता है, जिसमें किसी पवित्र मानी जाने वाली वस्तु का भौतिक अपवित्रीकरण या उसका उल्लंघन शामिल हो।
- **ईशनिंदा (Blasphemy)** का संबंध अभिव्यक्ति से है, जिसमें किसी ईश्वर, पैगंबर, धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक विश्वासों के समूह के संबंध में अपमानजनक अथवा अनादरपूर्ण भाषण, लेखन या चित्रात्मक प्रस्तुति शामिल हो सकती है।
- **कानूनी स्थिति:**
  - **भारतीय न्याय संहिता की धारा 298:** पूजा स्थल को किसी धर्म का अपमान करने के प्रयोजन से हानि पहुँचाने या अपवित्र करने को दंडनीय बनाती है। यह धार्मिक अपमान से संबंधित ऐसा अपराध है, जिसका मुख्य उद्देश्य आचरण को नियंत्रित करना है।
  - **BNS की धारा 299:** शब्दों, संकेतों या दृश्य प्रस्तुति के माध्यम से धार्मिक विश्वासों का जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण अपमान करने को दंडनीय बनाती है।

भारत में ईशनिंदा संबंधी कानूनों की उत्पत्ति

- **1927 में भारतीय दंड संहिता की धारा 295A** लागू की गई, जिसके अंतर्गत किसी वर्ग के नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से किए गए **"जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण"** कृत्यों को अपराध बनाया गया। इसमें शब्दों, संकेतों अथवा दृश्य प्रस्तुति के माध्यम से किए गए कृत्य शामिल थे।
- **1957 में रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

संवैधानिक पक्ष

- **अनुच्छेद 19(1)(a) — अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** इस कानून को अभिव्यक्ति और वाक्-स्वातंत्र्य के मौलिक अधिकार के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।
  - शब्दों, लेखन, संकेतों अथवा इलेक्ट्रॉनिक अभिव्यक्तियों को अपराध घोषित करने से वैध आलोचना, अकादमिक विमर्श, व्यंग्य और सामाजिक सुधार से संबंधित अभिव्यक्ति पर **निरोधात्मक प्रभाव** पड़ सकता है।
  - राज्य को यह प्रदर्शित करना होगा कि लगाया गया प्रतिबंध **अनुच्छेद 19(2)** में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किसी एक आधार के अंतर्गत आता है।
- **अनुच्छेद 19(2) — लोक व्यवस्था धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचने के समान नहीं है:** राज्य यह तर्क दे सकता है कि कानून लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है, विशेषकर धार्मिक अपमान से संबंधित तनावों के पंजाब के इतिहास को देखते हुए।
  - हालाँकि, संवैधानिक प्रश्न यह होगा कि क्या केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचना अपने-आप में लोक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त आधार है।

- **अनुच्छेद 14 — समानता एवं गैर-मनमानी:** "अनादर" अथवा ऐसा आचरण जो "धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने की प्रकृति का हो" जैसे शब्द इस बात को लेकर चिंता उत्पन्न कर सकते हैं कि अपराध का निर्धारण वस्तुनिष्ठ रूप से किस प्रकार किया जाएगा।
  - आपराधिक कानून में सामान्यतः पर्याप्त स्पष्टता आवश्यक होती है, ताकि नागरिक उचित रूप से समझ सकें कि कौन-सा आचरण प्रतिबंधित है।
- **आनुपातिकता का सिद्धांत:** भौतिक रूप से धार्मिक अपवित्रीकरण के लिए आजीवन कारावास तक का दंड **आनुपातिकता के सिद्धांत** के आधार पर न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ सकता है।
  - न्यायालय प्रतिबंधित आचरण की प्रकृति, उससे हुई क्षति, आरोपी का उद्देश्य, कम प्रतिबंधात्मक उपायों की उपलब्धता तथा दंड की गंभीरता जैसे पहलुओं की समीक्षा कर सकता है।

आगे की राह

- पवित्र धार्मिक वस्तुओं के जानबूझकर किए गए भौतिक अपवित्रीकरण को लोक व्यवस्था और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपराध घोषित करना उचित ठहराया जा सकता है। हालांकि, आपराधिक दायित्व को **अभिव्यक्ति** तक विस्तारित करने से अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता के उल्लंघन का जोखिम उत्पन्न होता है।
- इसलिए संवैधानिक रूप से सुदृढ़ दृष्टिकोण के लिए **स्पष्ट परिभाषाएँ, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य का प्रमाण, दंड में आनुपातिकता तथा सभी धर्मों के प्रति समान अनुप्रयोग** आवश्यक होंगे। यह दृष्टिकोण भारत के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक संवैधानिक ढाँचे के अनुरूप होना चाहिए।

Source: TH

भारत के व्यापार समझौते

संदर्भ

- भारत की मुक्त व्यापार समझौते (FTA) संबंधी यात्रा अब समझौतों के नेटवर्क का विस्तार करने से आगे बढ़कर इनके माध्यम से प्राप्त बाजार पहुँच का अधिकतम उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) क्या है?

- मुक्त व्यापार समझौता (FTA) दो या दो से अधिक देशों के बीच किया गया ऐसा समझौता है, जिसके अंतर्गत वे निम्नलिखित के लिए सहमत होते हैं:
  - वस्तुओं पर सीमा शुल्क को कम करना या समाप्त करना;
  - सेवाओं के व्यापार को उदार बनाना;
  - निवेश को संरक्षण प्रदान करना;
  - बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना।

भारत के हालिया FTA की प्रमुख विशेषताएँ

- वित्त वर्ष 2025-26 में वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त निर्यात रिकॉर्ड 863.1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें वस्तुओं का निर्यात 441.8 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
  - संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ऑस्ट्रेलिया भारत के हालिया व्यापार समझौतों के अंतर्गत प्रारंभिक प्रगति के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
- **भारत-UAE CEPA (2022):** वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने UAE को 37,359.11 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया।
  - भारत के व्यापार समझौतों में UAE भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा।
  - वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 100.06 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, जिसमें 19.6% की वृद्धि दर्ज की गई।
  - भारत और UAE ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है।
- **भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA (2022):** वित्त वर्ष 2024-25 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 24.1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2020-21 के 4 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 7.28 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 80% से अधिक की वृद्धि है।
  - 2026 से आगे, भारत से होने वाले सभी निर्यात अब ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शून्य-शुल्क पहुँच के लिए पात्र हैं।

FTA का महत्व

- **निर्यातकों के लिए FTA के लाभों तक पहुँच सुगम बनाना:** व्यापार समझौता प्राथमिकता-आधारित बाजार पहुँच प्रदान करता है। निर्यातकों को सामान्यत: अपने माल के मूल देश का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है।
    - प्राथमिकता-प्राप्त मूल प्रमाणपत्र (CoO) यह प्रमाणित करता है कि वस्तुएँ निर्धारित मूल-स्थान संबंधी नियमों को पूरा करती हैं। इससे पात्र वस्तुओं को कम या शून्य सीमा शुल्क का लाभ प्राप्त होता है।
- **FTA बाजारों तक पहुँचने वाले उत्पादों की व्यापक श्रृंखला:** किसी FTA की पहुँच इस बात से भी परिलक्षित होती है कि साझेदार देशों के बाजारों में कितने प्रकार के उत्पाद प्रवेश कर रहे हैं। भारत के हालिया कई समझौतों में उत्पाद-स्तर पर इस विस्तार को देखा जा सकता है।
- **बाजार पहुँच:** ये समझौते श्रम-प्रधान कई क्षेत्रों में बाजार पहुँच का विस्तार करते हैं।
    - इन क्षेत्रों में व्यापक अवसर छोटे उत्पादकों और स्थानीय उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाते हैं।
- **सेवा क्षेत्र में लाभ:** भारत के हालिया FTA ने सेवा प्रदाताओं और पेशेवरों के लिए अवसरों का विस्तार किया है।
    - सेवा क्षेत्र भारत के कुल रोजगार में लगभग 30% का योगदान देता है और वित्त वर्ष 2025-26 में सेवाओं का निर्यात 421.3 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। क्षेत्र के इस व्यापक आकार को देखते हुए यह भारत के FTA का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

आगे की राह

- हालिया समझौते कार्यान्वयन के अधिक गहन चरण में प्रवेश कर रहे हैं, वहीं भारत अपने भविष्य के व्यापार एजेंडे का भी विस्तार कर रहा है।
- लगभग दस व्यापार समझौते विचाराधीन हैं, जिनमें यूरेशियन आर्थिक संघ, पेरू, चिली, इज़राइल, कनाडा और मालदीव के साथ नई वार्ताएँ शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, भारत-कोरिया CEPA और भारत-श्रीलंका ETCA जैसे वर्तमान समझौतों को भी उन्नत किया जा रहा है।
- जैसे-जैसे व्यवसाय इन समझौतों के तहत सुनिश्चित बाजार पहुँच का अधिक उपयोग करेंगे, इनका प्रभाव और व्यापक होगा।
- इससे निर्यात में अधिक भागीदारी बढ़ेगी, व्यापार में विविधता आएगी तथा साझेदार देशों के बाजारों के साथ वाणिज्यिक संबंध सुदृढ़ होंगे।

Source: **PIB**

भारत में कॉरपोरेट निवेश

समाचार में

- भारत में **GDP के अनुपात में कॉरपोरेट निवेश** में गिरावट दर्ज की जा रही है।

कॉरपोरेट निवेश

- यह किसी कंपनी द्वारा वित्तीय प्रतिफल अर्जित करने या दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने के उद्देश्य से वित्तीय परिसंपत्तियों, व्यावसायिक गतिविधियों अथवा रणनीतिक परियोजनाओं के अधिग्रहण या उनमें निवेश को संदर्भित करता है।
- भारत के GDP के प्रतिशत के रूप में कॉरपोरेट निवेश में गिरावट आई है, विशेष रूप से **2016 की नोटबंदी** के बाद।
- निवेश 2004 में GDP के **6.5%** से बढ़कर **10.3%** हो गया था, लेकिन वैश्विक वित्तीय संकट से विलंबित सुधार के बाद इसमें फिर से दीर्घकालिक गिरावट शुरू हो गई।
- नोटबंदी एक **घरेलू नीतिगत आघात** था, जबकि वैश्विक वित्तीय संकट (GFC) एक **बाह्य आघात** था।
- निवेश में गिरावट **COVID-19 से पहले ही** शुरू हो चुकी थी।

CHART 1: Corporate investment in India *As a share of GDP (in %)*

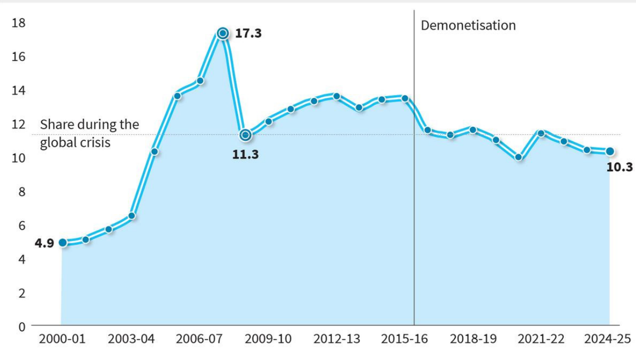

Source: Authors' calculations, Database on Indian Economy, RBI

निवेश को प्रभावित करने वाले कारक

- **अपेक्षित लाभप्रदता:** कंपनियाँ तब निवेश करती हैं, जब उन्हें भविष्य में पर्याप्त रूप से लाभदायक बिक्री होने की संभावना होती है।
- **व्यावसायिक विश्वास (एनिमल स्पीरिट):** भविष्य की मांग और नीतिगत परिस्थितियों के प्रति अधिक विश्वास निवेश को प्रोत्साहित करता है।
- **ऋण की लागत और उपलब्धता:** उच्च ब्याज दरें और वित्त तक सीमित पहुँच निवेश को हतोत्साहित कर सकती हैं, विशेषकर छोटी कंपनियों के लिए।

रणनीतिक महत्व

- **रोजगार सृजन:** श्रम-प्रधान विनिर्माण और बुनियादी ढाँचे पर पूंजीगत व्यय प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों को कार्यबल में शामिल करने में सहायक होता है।
- **प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान का हस्तांतरण:** विदेशी कॉरपोरेट इक्विटी के माध्यम से घरेलू औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र उन्नत विनिर्माण मानकों, स्वचालन तथा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को आत्मसात करते हैं।
- **कल्याणकारी प्रभाव:** निजी निवेश सार्वजनिक ऋण पर व्यय के दबाव को कम करता है, जिससे सरकार सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य पर अधिक संसाधन व्यय कर सकती है।
- **निर्यात क्षमता का निर्माण:** बुनियादी ढाँचे और पूंजी निर्माण से मूल्यवर्धित विनिर्माण का विस्तार होता है, जिससे व्यापार संतुलन एवं विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा मिलता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **संकेंद्रण का जोखिम:** पूंजीगत व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कुछ बड़े कॉरपोरेट समूहों तक केंद्रित है, जबकि मध्यम आकार की कंपनियों का निवेश अभी भी असमान बना हुआ है।
- **भूराजनीतिक अनिश्चितता और उच्च इनपुट/ऊर्जा लागत:** ये कारक दीर्घकालिक विवेकाधीन निवेश के प्रति कंपनियों को सतर्क दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।
- **नियामकीय बाधाएँ:** भूमि अधिग्रहण की लंबी प्रक्रिया, स्थानीय नियामकीय स्वीकृतियाँ तथा अनुबंधों के धीमे प्रवर्तन से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी होती है।
- **पूंजी की उच्च लागत:** बेंचमार्क ब्याज दरें अधिक होने के कारण मध्यम आकार की कंपनियों के पास नए ऋण लेने के बजाय आंतरिक संसाधनों पर निर्भर रहने के अलावा सीमित विकल्प रह जाते हैं।

सरकार के कदम

- **उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना:** PLI योजना में इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर मॉड्यूल, औषधियाँ और विशेष इस्पात जैसे **14 प्रमुख क्षेत्र** शामिल हैं।
  - यह वृद्धिशील विनिर्माण के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है तथा घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को आकर्षित करने में सफल रही है।
- **बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा (NIP एवं गतिशक्ति):** राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) और PM गतिशक्ति के अंतर्गत सड़कों, रेलवे तथा बंदरगाहों में सरकारी निवेश अभूतपूर्व स्तर पर है।
  - इससे लॉजिस्टिक लागत में उल्लेखनीय कमी आ रही है तथा व्यवसाय करना अधिक सुगम और लाभदायक बन रहा है।
- **करों का युक्तिकरण:** हाल के वर्षों में संरचनात्मक कॉरपोरेट कर दरों में की गई कटौती से कंपनियों के पास अपनी आय का अधिक हिस्सा बचा है। इससे प्रतिधारित आय के माध्यम से निवेश के लिए आंतरिक वित्तपोषण की उनकी क्षमता में तत्काल वृद्धि हुई है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का उदारीकरण:** रक्षा, अंतरिक्ष और दूरसंचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नियमों को आसान बनाकर आवश्यक विदेशी पूंजी एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी को आकर्षित किया गया है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

- भारत का कॉरपोरेट निवेश परिदृश्य तीव्रता से **पुनरुद्धार से विस्तार** की ओर बढ़ रहा है। इसे सुदृढ़ बैलेंस शीट, घरेलू मांग में लचीलापन तथा लक्षित सरकारी प्रोत्साहनों का समर्थन प्राप्त है।
- इस गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि बड़े कॉरपोरेट समूह समयबद्ध भुगतान के माध्यम से MSME को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करें तथा पूंजी आवंटन को हरित बुनियादी ढाँचे और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें।
- जैसे-जैसे आर्थिक विकास आगे बढ़ेगा, स्थिर ऋण परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मुद्रास्फीति के प्रभावी प्रबंधन के लिए **राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति के बीच सावधानीपूर्वक समन्वय** महत्वपूर्ण होगा।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

तामिराभरणी नदी

संदर्भ

- मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु की तामिराभरणी नदी को एक देवी के रूप में मान्यता देते हुए उसे कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया है, ताकि अंतिम संस्कारों से होने वाले प्रदूषण और अपशिष्ट डाले जाने पर रोक लगाई जा सके।

परिचय

- 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना को कानूनी व्यक्तियों के रूप में मान्यता दी थी। हालाँकि, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी, क्योंकि विशेष रूप से दोनों नदियों के कई राज्यों से होकर प्रवाहित होने के कारण व्यावहारिक और प्रशासनिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थीं।
- वैश्विक स्तर पर, न्यूज़ीलैंड की व्हांगानुई नदी 2017 में कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम नदी बनी।

तामिराभरणी नदी

- तामिराभरणी, जिसे ताम्रपर्णी या पोरुनई के नाम से भी जाना जाता है, एक बारहमासी नदी है, जिसका उद्गम पश्चिमी घाट की पोतिगई पहाड़ियों में अगस्त्यकूडम शिखर से होता है।
- यह दक्षिणी भारत में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन जिलों से होकर प्रवाहित होती है तथा अंततः मन्नार की खाड़ी में गिरती है।
- पूर्व-शास्त्रीय काल में इसे ताम्रपर्णी नदी कहा जाता था और इसी नाम से श्रीलंका को भी नाम प्राप्त हुआ।

स्रोत: DTE

पीएम केयर्स फंड

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष (PM-CARES Fund) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से पता चला है कि जहाँ दान में कमी आई है, वहीं उपलब्ध निधि का उपयोग भी बहुत कम रहा है।

परिचय

- वित्त वर्ष 2022-23 और 2024-25 के बीच कोष का कुल संचित निधि आकार 25.8% बढ़कर ₹6,722 करोड़ से ₹8,453 करोड़ हो गया।
    - हालाँकि, इसी अवधि में निधि का उपयोग ₹437.9 करोड़ से घटकर मात्र ₹87.5 लाख रह गया, जो उपलब्ध कुल निधि का केवल 0.01% था अथवा उपलब्ध कोष की तुलना में लगभग 10,000 गुना कम था।

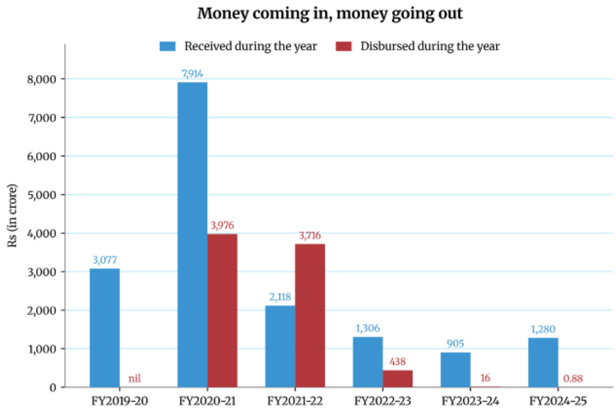

पीएम केयर्स फंड के बारे में

- PM CARES एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास है, जिसे कोविड जैसी राष्ट्रीय आपात स्थितियों के लिए धन एकत्रित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।
    - इसकी स्थापना 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के बाद की गई थी।
    - इस कोष को एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास के रूप में पंजीकृत किया गया है तथा इसके न्यास विलेख को पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।
- PMNRF प्राकृतिक आपदाओं, बड़ी दुर्घटनाओं, दंगों आदि से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करता है।
- NDF विशेष रूप से सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के कल्याण तथा उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए है।

स्रोत: TH

BRICS द्वारा EU के कार्बन कर का विरोध

संदर्भ

- BRICS के पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रियों ने यूरोपीय संघ (EU) के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) का विरोध करते हुए इसे भेदभावपूर्ण और संरक्षणवादी उपाय बताया, जो अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं है।

CBAM

- CBAM यूरोपीय संघ द्वारा उन वस्तुओं के आयात पर लगाया जाने वाला शुल्क है, जिनके उत्पादन में घरेलू यूरोपीय विनिर्माताओं को अनुमत सीमा से अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है।

- इसे गैर-EU देशों से आयातित कार्बन-गहन वस्तुओं पर "उचित कार्बन मूल्य" निर्धारित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
    - इसका उद्देश्य उन EU कंपनियों के साथ समान प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति सुनिश्चित करना है, जो EU की उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) के माध्यम से अपने कार्बन उत्सर्जन का लेखा-जोखा रखती हैं।
- **प्रवर्तन :** यह 1 जनवरी 2026 से छह वस्तुओं—इस्पात, एल्युमीनियम, सीमेंट, उर्वरक, हाइड्रोजन और विद्युत—पर लागू हुआ।

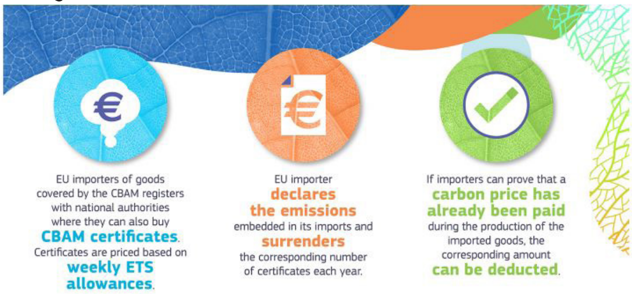

विकासशील देशों की चिंताएँ

- **पर्यावरणीय अनुपालन:** CBAM से संबंधित चर्चाएँ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) के अंतर्गत होती हैं। भारत और अन्य विकासशील देशों का तर्क है कि पर्यावरणीय मुद्दों को व्यापार से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
- **निर्यात पर प्रभाव:** CBAM भारत के EU को होने वाले निर्यात के 43% को प्रभावित कर सकता है, जिसमें धातु, वस्त्र, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन शामिल हैं।
    - CBAM के दायरे में आने वाले भारत के EU को निर्यात में लोहा और इस्पात लगभग 90% का योगदान करते हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन:** 2015 में अपनाया गया पेरिस समझौता विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध उठाए गए "प्रतिक्रिया उपायों" के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करता है।
    - 2023 में दुबई जलवायु सम्मेलन (COP28) में यह स्वीकार किया गया कि "जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किए गए उपाय मनमाने या अनुचित भेदभाव का साधन अथवा अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर छिपा हुआ प्रतिबंध नहीं होने चाहिए।"
- **विकसित देशों को लाभ:** जिन विकसित अर्थव्यवस्थाओं के उद्योगों में EU के तुलनीय उत्सर्जन मानक लागू हैं, उन्हें CBAM जैसे उपाय से लाभ प्राप्त होगा।
    - इस प्रकार, CBAM का शुद्ध प्रभाव विकसित देशों के उद्योगों को लाभ पहुँचाने और विकासशील देशों के उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक हानि पहुँचाने के रूप में सामने आ सकता है।

BRICS के बारे में

- BRICS पाँच प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं—ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका—के समूह के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम है।
    - मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात BRICS में नए पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं।
- BRICS विश्व की लगभग 41% आबादी, लगभग 24% वैश्विक GDP और लगभग 16% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है।
- **उत्पत्ति:** 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन से इतर रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक के बाद BRIC समूह की शुरुआत हुई।
    - BRIC शब्द मूल रूप से अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा 2001 में दिया गया था।
    - प्रारंभ में इस समूह को BRIC कहा जाता था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसे BRICS के नाम से जाना जाने लगा।
- **शिखर सम्मेलन:** BRICS देशों की सरकारें 2009 से प्रतिवर्ष औपचारिक शिखर सम्मेलनों में बैठक करती रही हैं।
- **निर्णय-निर्माण:** सभी निर्णय BRICS सदस्य देशों द्वारा पूर्ण परामर्श और सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं।
- **न्यू डेवलपमेंट बैंक:** पूर्व में इसे BRICS डेवलपमेंट बैंक कहा जाता था। यह BRICS देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है।
    - बैंक सार्वजनिक अथवा निजी परियोजनाओं को ऋण, गारंटी, इक्विटी भागीदारी तथा अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से सहायता प्रदान करता है।

स्रोत: TH

बन्नी घासभूमि में कृष्णमृगों का पुनर्स्थापन

समाचार में

- गुजरात वन विभाग ने **ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, वंतारा** के तकनीकी सहयोग से कच्छ की **बन्नी घासभूमि** में 20 कृष्णमृगों (एंटीलोप सर्वाइकैप्रा) को छोड़ा।

कृष्णमृग

- कृष्णमृग केवल **भारतीय उपमहाद्वीप** में पाए जाते हैं।
- भारत में ये मुख्य रूप से तीन व्यापक क्षेत्रों—**उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों**—में पाए जाते हैं।

- नर कृष्णमृगों के सींग **पेंचदार आकार** के होते हैं और उनका शरीर काले से गहरे भूरे रंग का होता है, जबकि मादाएँ हल्के पीले-भूरे रंग की होती हैं।
- यह प्रजाति खुली घासभूमि, शुष्क कंटीली झाड़ियों, झाड़ीदार क्षेत्रों और विरल वनों वाले क्षेत्रों के साथ-साथ कृषि क्षेत्रों की सीमाओं में भी पाई जाती है।
- इसे **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I** में सूचीबद्ध किया गया है। कृष्णमृग का शिकार और अवैध शिकार **गैर-जमानती अपराध** है तथा इसके लिए छह वर्ष तक के कारावास का प्रावधान हो सकता है।
- **बिश्नोई समुदाय** द्वारा इसकी पूजा की जाती है।
- इसे **IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में कम चिंतनीय** श्रेणी में रखा गया है।

बन्नी घासभूमि

- यह गुजरात के **कच्छ जिले** में स्थित है और इसे **एशिया की सबसे बड़ी घासभूमि** माना जाता है।
- यह एक **लवण-सहिष्णु घासभूमि** है, अर्थात यह लवणीय और शुष्क परिस्थितियों में भी जीवित रहकर विकसित हो सकती है।
- यहाँ घास, जड़ी-बूटियों, झाड़ियों और वृक्षों की **250 से अधिक प्रजातियाँ** पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ स्थानिक और संकटग्रस्त हैं।
- यह **350 से अधिक पक्षी प्रजातियों, 50 स्तनधारी प्रजातियों, 30 सरीसृप प्रजातियों और 10 उभयचर प्रजातियों** को आश्रय प्रदान करती है।
- बन्नी में पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीवों में **संकटग्रस्त भारतीय जंगली गधा, एशियाई सिंह, कृष्णमृग, चिंकारा, काराकल, रेगिस्तानी लोमड़ी, फ्लेमिंगो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पेलिकन और सारस क्रेन** शामिल हैं।
- यहाँ लगभग **40,000 लोग** निवास करते हैं, जो मालधारी, रबारी, जाट, मुतवा और मेघवाल जैसे विभिन्न पशुपालक समुदायों से संबंधित हैं।

स्रोत: TH

भारत का मखाना क्षेत्र

समाचार में

- मखाना भारत के सबसे तीव्रता से विकसित हो रहे **कृषि-खाद्य क्षेत्रों** में से एक के रूप में उभरा है। इसके पीछे बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता, घरेलू मांग में विस्तार और सुदृढ़ निर्यात संभावनाएँ प्रमुख कारक हैं।

मखाना

- इसे वैज्ञानिक रूप से यूरयाले फेरोक्स कहा जाता है। यह एक **जलीय फसल** है, जिसकी मुख्य रूप से उथले तालाबों, झीलों और आर्द्रभूमियों में खेती की जाती है।
  - पौधे का **बीज** ही खाद्य भाग होता है।
- **लाभ:** मखाना पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, आहार फाइबर तथा मैग्नीशियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस और आयरन जैसे प्रमुख खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं।
  - इसमें नमक की मात्रा कम होती है और यह **कोलेस्ट्रॉल-मुक्त** होता है, जिससे यह विभिन्न प्रकार की आहार संबंधी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त विकल्प बनता है।
  - इसका **ग्लाइसेमिक लोड कम** होता है और इसका सेवन मधुमेह को नियंत्रित करने वाले लोगों द्वारा किया जा सकता है।
  - यह हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है, पाचन में सहायता करता है और इसमें **बुढ़ापे के प्रभावों को कम करने वाले गुण** भी पाए जाते हैं।

Makhana-Geographical Indication (GI) Tag

"Mithila Makhana" has been granted a **GI tag**, recognizing the unique quality, reputation, and traditional knowledge associated with makhana produced in the Mithila region of Bihar. The GI status provides legal protection, enhances market differentiation, and strengthens branding potential in domestic and international markets.

वर्तमान स्थिति

- **उत्पादन:** भारत विश्व का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक है। इसके उत्पादन को अनुकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियों तथा लंबे समय से चली आ रही खेती की परंपराओं का समर्थन प्राप्त है। इसका उत्पादन मुख्यतः **बिहार, पश्चिम बंगाल और असम** में होता है।
  - भारत के कुल मखाना उत्पादन में **बिहार की हिस्सेदारी लगभग तीन-चौथाई** है और वैश्विक आपूर्ति में इसका योगदान लगभग **80-85%** है।
  - मखाना की खेती मुख्य रूप से **उत्तर बिहार** में केंद्रित है।
- **निर्यात:** भारत के मखाना निर्यात बाजार अत्यधिक केंद्रित हैं। **संयुक्त राज्य अमेरिका (40%), कनाडा (20%) और संयुक्त अरब अमीरात (17%)** मिलकर कुल मखाना निर्यात का **77%** हिस्सा प्राप्त करते हैं।
  - हालाँकि, अधिक मात्रा वाले इन बाजारों में प्रति इकाई प्राप्त कीमत अपेक्षाकृत कम है: **अमेरिका (15.8/किग्रा) और UAE ($13.3/किग्रा)**।

- इसके विपरीत, **जर्मनी (21.6/किग्रा) और ऑस्ट्रेलिया ($21.0/किग्रा)** जैसे छोटे बाजार प्रीमियम कीमतें प्रदान करते हैं, यद्यपि इनमें निर्यात की मात्रा सीमित है और प्रत्येक की बाजार हिस्सेदारी लगभग **1-5%** है।
- **यूनाइटेड किंगडम** की स्थिति मिश्रित है। इसकी बाजार हिस्सेदारी **10%** है और वहाँ औसत प्राप्ति लगभग **$20/किग्रा** है।
- इससे अमेरिका और खाड़ी क्षेत्र के बाजारों से आगे बढ़कर **अधिक कीमत देने वाले बाजारों** पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है, जिससे कुल निर्यात प्राप्तियों में सुधार किया जा सकता है।

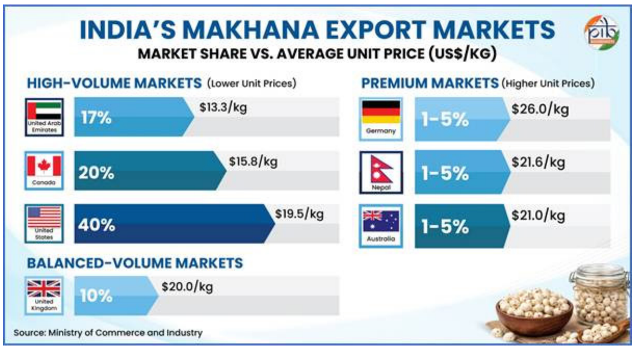

सरकार के कदम

- सरकार ने **केंद्रीय बजट 2025-26** में **राष्ट्रीय मखाना बोर्ड** की स्थापना की घोषणा की।
  - इस बोर्ड का औपचारिक शुभारंभ **15 सितंबर 2025 को बिहार** में किया गया।
  - यह पहल मखाना की **मूल्य शृंखला को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने** की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- सरकार ने **2025-26 से 2030-31** की अवधि के लिए **₹476.03 करोड़** के परिव्यय के साथ मखाना विकास हेतु **केंद्रीय क्षेत्र योजना** को स्वीकृति दी है। इस योजना का उद्देश्य अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा किसानों के कौशल में वृद्धि करना है।
  - इसका उद्देश्य **कटाई एवं कटाई-पश्चात प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण, मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन को बढ़ावा देना, निर्यात में वृद्धि तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों को सुदृढ़ करना** भी है।

स्रोत:PIB

■■■

NEXT IAS हिन्दी